संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1986

[1]**सा0का0नि0 12(अ)-** निम्नलिखित नियमों को, जिन्हें संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति के उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (चच) द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् बनाया है और जिन्हें उस धारा की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पुष्ट कर दिया है,सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किये जाते है:-

संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986
(13 दिसम्बर, 2010 तक संशोधित रूप में)

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **अग्रिम की अधिकतम रकम: -** वह अधिकतम रकम जो किसी सदस्य को वाहन खरीदने के लिये उधार दी जा सकेगी, [2][चार लाख रुपये] या उस वाहन की जिसे खरीदने का विचार है, वास्तविक कीमत से, इन में से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी:

परन्तु ऐसी किसी दशा में जिसमें वाहन पहले ही खरीदा जा चुका हो और उसका पूरा भूगतान कर दिया गया हो अग्रिम की कोई रकम अनुज्ञेय नहीं होगी:

परन्तु यह और कि जहां यह भुगतान भागत: किया गया हो, वहां अग्रिम की रकम सदस्य द्वारा यथा प्रमाणित, भुगतान की जाने वाली शेष राशि तक ही समिति होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अग्रिम की रकम राष्ट्रपति के नाम में मंजूर की जायेगी और अधिप्रमाणित (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार अधिप्रमाणित की जायेगी।

---

[1] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित ।

[2] दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 967(अ) द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. **अग्रिम का प्रतिसंदाय**:- (1) नियम 2 के अधीन दिये गये अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित सदस्य के वेतन बिल से अधिक से अधिक साठ बराबर मासिक किस्तों में की जायेगी जिनकी अवधि सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यदि अग्रिम लेने वाला सदस्य ऐसा चाहे तो राज्य सभा का सभापति अथवा लोक सभा का अध्यक्ष, यथास्थिति, अग्रिम की वसूली कम किस्तों में अनुज्ञात कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- मासिक किस्तों में वसूल की जाने वाली अग्रिम की रकम पूरे-पूरे रुपयों में नियत की जायेगी सिवाय अन्तिम किस्त के, जब शेष बकाया रकम, जिसमें रुपये की भिन्न भी है, वसूल की जाये।

(2) अग्रिम की वसूली उसके लिये जाने के बाद दिये जाने वाले पहले वेतन से शुरू होगी।

(3) उक्त अग्रिम पर साधारण ब्याज, केंद्रीय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये वाहन अग्रिम पर निर्धारित दर पर लिया जायेगा।

(4) यदि कोई सदस्य अग्रिम का पूर्णत: प्रतिसंदाय किये जाने से पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो शेष बकाया राशि, उस पर ब्याज सहित तुरंत केन्द्रीय सरकार को एकमुश्त राशि से संदत्त की जायेगी।

4. **वाहन का विक्रय**:- (1) उस दशा के सिवाय जब कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहता है, सदस्य अग्रिम की सहायता के क्रय किये गये वाहन के विक्रय के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा, यदि ऐसा अग्रिम इस पर उद्भूत ब्याज सहित पूर्णत: प्रतिसंदाय नहीं कर दिया गया है।

(2) जहां कोई सदस्य उक्त वाहन का अन्तरण किसी अन्य सदस्य को करना चाहता है, वहां उसे उस वाहन से संबद्ध दायित्व के पश्चात् कथित सदस्य को अन्तरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा। परन्तु यह तब जब वाहन खरीदने वाला सदस्य यह घोषणा अभिलिखित करे कि उसे इस बात का पता है कि उसे अन्तरित वाहन बंधक किया हुआ है और वह उसके निबंधनों और उपबंधों से आबद्ध है।

(3) उन सभी मामलों, जहां किसी वाहन का विक्रय, उसके क्रय के लिये किये गये अग्रिम और उस पर ब्याज का पूर्णत:प्रतिसंदाय किये जाने से पूर्व किया जाता है, वह विक्रय आगम का उपयोग, जहां तक आवश्यक हो, ऐसे शेष बकाया के प्रतिसंदाय के लिये किया जाना चाहिये:

परन्तु जब वाहन का विक्रय इस दृष्टि से किया जाता है कि दूसरा वाहन खरीदा जा सके, तब केन्द्रीय सरकार विक्रय आगम का ऐसी खरीद के लिये उपयोग किये जाने के लिए सदस्य को निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए अनुज्ञात कर सकेगी, अर्थात्:-

(क) शेष बकाया रकम नये वाहन की लागत से अधिक नहीं होने दी जायेगी;

(ख) शेष बकाया रकम का पूर्व नियत दर पर प्रतिसंदाय किया जाता रहेगा; और

(ग) नये वाहन का बीमा भी करवाया जायेगा और उसे केन्द्रीय सरकार के पास बंधक किया जायेगा।

5. अवधि जिसके वाहन खरीदने के लिये बातचीत पूरी की जा सकेगी: अग्रिम लेकर वाहन खरीदने वाला सदस्य वाहन खरीदने की बातचीत पूरी करके उसका अंतिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर करेगी और ऐसी बातचीत पूरी करने संदाय करने में असफल रहने पर, लिये गये अग्रिम की पूरी रकम, उस पर एक मास के ब्याज सहित केन्द्रीय सरकार को सदस्य द्वारा वापस कर दी जायेगी।

6. करार का निष्पादन:-(1) अग्रिम लेने समय प्रपत्र-1 में एक करार निष्पादित करेगा और खरीद पूरी होने पर वह अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान करते हुए प्रपत्र-2 में एक बंध पत्र निष्पादित करेगा।

(2) वाहन की कीमत प्रपत्र 2 में बंध के साथ संलग्न विनिदेशों की अनुसूची में प्रविष्ट की जाएगी।

7. वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाण-पत्र:- (1) जब कोई अग्रिम लिया गया हो, तब मंजूरी प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भेजेगा कि अग्रिम लेने वाले सदस्य ने प्रपत्र-1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और वह ठीक पाया गया है।

(2) मंजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि वाहन की खरीद अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित बंध पत्र को अन्तिम रूप से रिकार्ड किए जाने से पूर्व यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिए तत्काल प्रस्तुत करेगा।

8. बंध पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना:- (1) बंध पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(2) जब अग्रिम का पूर्णत: प्रतिसंदाय कर दिया गया हो, तब अग्रिम और उस पर ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् बंध पत्र सम्यकत: रद्द करके संबंधित सदस्य को वापस कर दिया जाएगा।

9. वाहन का बीमा:-अग्रिम से खरीदे गए वाहन अग्नि, चोरी और दुर्धटना से पूरी हानि के लिए बीमा कराया जाएगा और बीमा पालिसी में (प्रपत्र III के रूप में) एक खंड होगा जिसके द्वारा बीमा कंमनी वाहन को ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्हीं राशियों का संदाय स्वामी के बजाय केन्द्रीय सरकार को करने के लिए करार करती है।

*प्रपत्र-I

(नियम 6 देखिए)

वाहन खरीदने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री..... जो, संसद सदस्य हैं (जिन्हें इसमें आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि अैर समानुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकर के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख ..... को किया गया;

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए उन नियमों के उपबंधो के अधीन जिनमें संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने का विनियमन किया गया है, वाहन खरीदने के लिए .....रु0 (.....रुपये) उधार दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार लेने वाले को उक्त रकम इसमें आगे दिये गये उपबंधो और शर्तो पर देने के लिये सहमत हो गई है;

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई .....रुपये की राशि (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले ने इसके द्वारा अभिस्वीकार की है) के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह (1) उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाय अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती कराके करेगा जैसा कि उक्त नियमों द्वारा उपबंधित है और ऐसी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करता है; और (2) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम वाहन खरीदने में व्यय करेगा या यदि उसके द्वारा संदेय वास्ताविक कीमत उधार की रकम से कम है तो शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त वापस कर देगा और उधार लेने वाले को पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन को केन्द्रीय सरकार के पक्ष में आडमान रखने वाला दस्तावेज उक्त नियमों द्वारा उपबंधित प्ररूप में निष्पादित करेंगा। अन्त में यह करार किया जाता है और धोषणा की जाती है कि यदि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर वाहन नहीं खरीदा जाता है और आडमान नहीं रखा जाता है या यदि उघार लेने वाला उक्त अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सदस्य नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उघार की पूरी रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज शोघ्य और संदेय हो जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप उधार लेने वाले ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

---

* दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 12(अ) द्वारा अंतःस्थापित ।

उक्त श्री ..... ने ..... की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

[*]प्रपत्र-II

(नियम 6 देखिए)

वाहन के लिए बन्धक पत्र का प्रारूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री ..... (जिन्हें इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उने वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख ..... को किया गया। उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम,1954 के अधीन बनाए गए, संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने से संबंधित नियमों के अनुसार (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) वाहन खरीदने के लिए ..... रु0 (.....रुपये)
उधार दिए जाने के लिए आवेदन किया है और उसे वह मंजूर कर दिया गया है और उधार लेने वाले को जिन शर्तो पर अग्रिम दिया है/दिया गया था उनमें से एक शर्त यह है/थी कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूम में उधार दी गई रकम से या उसके भाग से वाहन खरीदा है, जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त .....रु0 का राशि या उसके उस अतिशेष का जो उस विलेख की तारीख को असंगत रह जाता है। .....रु0 (.....रुपये) की सामान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस समय शोध्य और देय रह गई राशि पर उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज का संदाय करेगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसी किस्तें उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित रीति से उसके वेतन में से मासिक कटौतियां करके वसूल कर ली जाएं और उक्त करार के अनुसरण में उधार लेने वाला वाहन का, जिसकी विशिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में उपवर्णित हैं, उक्त अग्रिम और उस ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियमों द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय सरकार को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह घोषणा करता हे कि उसने उक्त वाहन के क्रय की पूरी कीमत का संदाय कर दिया है, वह उसकी आत्यन्तिक संपत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक

---

[*] दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 12(अ) द्वारा अंतःस्थापित ।

उक्त अग्रिम के संबंध में कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार को संदेय रहती है तब तक वह उक्त वाहन का विक्रय नहीं करेगा, उसे गिरवी नहीं रखेगा और उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को नहीं छोड़ेगा, परन्तु सदैव यह है और यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन या ब्याज की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर नहीं दी जाती है या पूर्वोक्त रूप में वसूल नहीं की जाती है या, यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह किसी समय नहीं रहता है या, यदि उधार लेने वाला उक्त वाहन का विक्रय कर देता है या उसे गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व अथवा कब्जे को छोड़ देता है या वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समळाौता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के विरूद्ध किसी बिक्री या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी राशि जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो उस पर पूर्वोत्तर रूप से संगणित ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी धटना के होने पर केन्द्रीय सरकार उक्त वाहन का अधिग्रहण कर सकेगी और उसे कब्जे में ले सकेगी और या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेगी या उसे हटा सकेगी और सार्वजनिक नीलामी द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा उक्त वाहन का विक्रय कर सकेगी और विक्रय से प्राप्त धनराशि में उसे उक्त उधार का उस समय असंदत्त रह गया शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में संगणित और उस पर देय ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्च, प्रभार व्यय और संदायों की राशि अपने पास प्रतिधारित रख सकेगी और यदि कोई धनराशि शेष रहती है तो उसे उधार लेने वाले उसके निष्पादकों, प्रशासकों, या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देगी, परन्तु यह और कि उक्त वाहन का कब्जा लेने या उसका विक्रय करने की पूर्वोक्त शक्ति से उधार लेने वाले या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष देय रह गई रकम और ब्याज के लिए या, यदि वाहन का विक्रय किया जाता है तो उतनी रकम के लिए केन्द्रीय सरकार के वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जितनी भी विक्रय से प्राप्त शुद्ध अग्रिम देय रकम से कम रह जाते हैं और उधार लेने वाला यह करार भी करता है कि जब तक कोई धनराशि केन्द्रीय सरकार को शोध्य और देय रहती है तब तक अधार लेने वाला उक्त वाहन का अग्नि, चोरी या दुर्धटना से हानि या नुकसान के विरूद्ध ऐसी बीमा कंपनी में जिसका संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदन किया जाये, बीमा कराएगा और बीमा चालू रखेगा तथा महालेखाकार के समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कंमनी को, जिसमें उक्त मोटर यान का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में केन्द्रीय सरकार (भारत के राष्ट्रपति) हितबद्ध है और उधार लेने वाला यह करार भी करता है कि उक्त वाहन को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या नही होने देगा या उसमें युक्तियुक्त टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नही होने देगा और यदि उक्त वाहन कोई कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

वाहन का वर्णन
निर्माता का नाम
वर्णन
सिलेंडरों की संख्या
इंजन सं0
चेसिस सं0
लागत कीमत

इसके साक्ष्यस्वरूप इसमें ऊपर लिखी तारीख को उक्त (.....) ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से .....

(उधार लेने वाले का नाम)

..... ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
उक्त.....

1. .....
   .....
2. .....
   .....

(साक्षियों के हस्ताक्षर) (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
.....ने
(नाम औद पदनाम)

1. ....
2. ....

(साक्षियों के हस्ताक्षर) (अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम .....

*प्रपत्र-III

(नियम 9 देखिए)

बीमा पालिसियों में जोड़े जाने वाले खंड का प्रारूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री ..... (वाहन का स्वामी, जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) ने वाहन केन्द्रीय सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को उस अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दिया है जो उस वाहन के खरीदने के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है उक्त सरकार (राष्ट्रपति) ऐसे धन में हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री ..... (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) को उक्त वाहन की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होता। ऐसा धन सरकार (राष्ट्रपति) को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह वाहन का बंधकदार है और उसकी रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसको किसी भी बात से बीमाकृत के या कंपनी के इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकारों या दायित्वों का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

[फा0सं02/1/एम0एस0ए085]
महासचिव

* दिनांक 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 3; उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा0 का0 नि0 12 (अ) द्वारा अंतःस्थापित ।